

## ABSTRACT OF THE CONTRACT LABOUR ACT, 1970

The Act aims at the abolition of Contract Labour in respect of such categories as may be notified by the appropriate Government and at regulating the service conditions of Contract Labour where abolition is not possible.

### APPLICABILITY

#### This act applies

- To every establishment in which 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the proceeding 12 months as contract labour [Sec 1(4) (a)]
- To every contractor who employs or who employed on any day of the preceding 12 months 20 or more workmen [Sec 1(4) (a)]

#### To whom does it not apply?

It shall not apply to establishments in which work only of an intermittent or casual nature is performed [Sec 1(5) (a)].

If question arises whether work performed in an establishment is of an intermittent or casual nature, the appropriate Government shall decide that question after consultation with the Central Board or, as the case may be, a state Board, and its decision shall be final [Sec 1(5) (b)]

For this purpose of this subsection, work performed in an establishment shall not be deemed to be an intermittent nature:

- If it was performed for more than 120 days in the preceding 12 months; or
- If it is of a seasonal character and is performed for more than 60 days in year.

### Administration

The Act is administered by the Central or State Advisory Boards, as the case may be, whereon the Labour Commissioner will be a member [Sec 3 & 4]

#### Who is principal employer?

The head of any office or department of Government or local authority or, in a factory, the owner or occupier of the factory or a person named as the Manager of the factory under the Factories Act 1948, is the principal employer under the Act [Sec 2(g)]

#### What are Wages?

For the purpose of this Act, the expression 'wages' shall have the same meaning assigned to it under the Payment of Wages Act. Wages will, therefore, comprise Basic Pay (B. P.), Dearness Allowance (D.A), City Compensatory Allowance (C.C.A), Overtime Wages (O.W) and Production Incentive,. The term also includes encashment amount of leave, terminal dues, such as, notice pay, retrenchment compensation layoff., if the contract between the worker and the immediate employer so provide [Sec 2(h)]

#### Who is a 'Workman'?

Workman means any person employed in or in connection with a work of skilled, semi-skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical nature for hire or reward, whether terms of employment are express or implied. The expression 'workman' does not includes:

- (a) any person employed mainly in a managerial or administrative capacity; or
- (b) a person being employed in a supervisory capacity but draw wages exceeding Rs. 500/- per mensem or exercises either by the nature of the duties attached to his office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature; or
- (c) a person who is out-worker, that is to say, a person to whom any articles or materials are given out by on behalf of the principal employer to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, adapted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employer and process is to be carried out either in the home of the out-worker or in some other premises, not being premises under the control and management of the principal employer [Sec 2(i)]

#### Contractor to make payment of wages

The contractor shall be responsible for payment of wages to each contract worker employed by him, such amounts as wages and at such intervals as are agreed upon in the contract. The contractor should ensure that the wages are disbursed in the presence of authorized representative of the principal employer.

#### The obligations of the principal employer

In the case Contractor fails to make payment of wages within the prescribed period or makes short payment, then the principal employer shall be liable to make payment of wages in full or the unpaid balance due, as the case may be, to the contract labour, employed by the Contractor and recover the amount so paid from the Contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt payable by the Contractor [Sec 21]

#### Employer's Obligation

Every principal employer of an establishment shall, under this Act, make an application to the Registering Officer in Form I for registration of his establishment. If the establishment fails to so register, it is prohibited to employ contract labour after the expiry of the period permitted for making the application [Sec 7(1) & (2)]

### Licensing of Contractors

No employer shall undertake any work through Contract Labour except under the license issued by the Licensing Officer [Sec 11]. Such license will contain conditions as to hours of work, fixation of wages and other essential amenities for the contract employees. Such license shall be valid for a specific period where after the employer may apply for renewal [Sec 12(2)]. Any appeal against an order of the licensing officer may be made by the employer within 30 days before the Appellate Officer nominated by the Government [Sec 15].

### Welfare, Safety and Health measures

Every principal employer governed by this Act is responsible for maintaining such standards of welfare, safety and health of contract labours as prescribed in detail in the Act [Sec 16 to 21]

### Registers and Records

Registers of contractors: Every principal employer shall maintain in respect of each registered establishment a register of contractors in Form XII [Rule 74]

#### Employment Card:

- I) Every contractor shall issue an employment card in Form XIV to each worker within 03 days of employment of the workers,
- II) The card shall be maintained up to date and any change in the Particulars shall be entered therein [Rule 76]

Service Certificate: On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose service have been terminated a Service Certificate in Form XV [Rule 77]

Muster Roll, Wages Register, Deduction Register and Overtime Register: Every contractor shall in respect of each work on which he engages contract labour [Rule 78]

- maintain a Muster Roll and Registers of Wages in Forms XVI & XVII respectively provided that a combined Register of Wage- cum- Muster Roll in Form XVIII shall be maintained by the contractor where the wage period is a fortnight or less;
- maintain a Register of Deductions for damage or loss, Register of Fines and Registers of Advances in Form XX, Form XXI and Form XXII respectively.
- Maintain a Register of Overtime in Form XXIII recording therein the numbers of hours of, and wages paid for, overtime work if any.
- Every contractor shall, where the wage period is one week or more, issue wage slips in Form XIX, to the workmen at least a day prior to the disbursement of wages.
- Every contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker concerned against the entries relating to him on the Register of Wages or Muster Roll-cum-Wages Register, as the case may be, and the entries shall be authenticated by the initials of the contractor or his authorized representative and shall also be duly certified by the authorized representative of the principal employer in the following manner:

The authorized representative of the principal employer shall record under his signature a certificate at the end of the entries in the Register of Wages or the (Register of Wages-cum-Muster Roll), as the case may be, in the following form: "Certified that the amount shown in Column No.....has been paid to the workman concerned in my presence on.....(date) at.....(place)

### Display of the Act

Every contractor shall display an abstract of the Act and rules in English and Hindi and in the language spoken by the majority of workers in such form as may be approved by the Chief Labour Commissioner (Central). The contractor shall also display notices showing rates of wages, hours of work, wage period, dates of payment of wages in conspicuous places at the establishment and the work site [Rule 80-81 (1) & (2)].

### Returns

Every principal employer shall, within 15 days of the commencement or completion of each contract work under each contractor, submit a return to the Inspector, intimating the actual dates of commencement and completion of such contract work in Form VI-B [Rule 81(3)].

Every contractor shall send half yearly returns in Form XIV (in duplicate) so as to reach the Licensing Officer concerned not later than 30 days from the close of the half year [Rule 82(1)]

Every principal employer of registered establishment shall send annually a return in Form XXV (in duplicate) so as to reach the Registering Officer concerned not later than 15<sup>th</sup> February following end of the year to which it relates. [82 (2)]

### Penalties

Contravention of provisions of the Act will attract punishment by way of imprisonment or fine or both.

## संवदा श्रमिक { विनियम और उत्पादन} अधिनियम, 1970 और संविदा श्रमिक { विनियम और उत्पादन} नियम, 1971 की संक्षिप्त

### I. अधिनियम का विस्तार

इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। किसी कर्मकार का किसी कर्मकार या संविदा या स्थायी आदेशों के निबन्धनों के अनुसार जो अधिकार प्रसुविधायें प्राप्त किये जा सकते हैं या सेवा की और अनुकूल शर्तों के हकदार हैं या ऐसे करारों आदि के करने के जिनसे इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल प्रसुविधायें प्राप्त हो जायें को इस अधिनियम छीन नहीं रहा है।

### II. यह अधिनियम किन को लागू होता है।

यह अधिनियम प्रत्येक स्थापन पर लागू होता है, जिसमें 20 या अधिक कर्मकार संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन नियोजित थे और ऐसे हर ठेकेदार को लागू होता है जो 20 या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन नियोजित किये थे।

ऐसे स्थापन जिसमें केवल आंतरायिक या आकस्मिक प्रकार का कार्य किया जाता होए इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन ऐसे स्थापन जहां की पूर्ववर्ती 12 मासों में 120 या अधिक दिन काम किया गया था या किसी सामयिक प्रकार के कार्य में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन काम किया गया था, को आंतरायिक प्रकार का काम करने वाला नहीं समझा जाएगा।

### III. परिभाषाएं

#### 1. समुचित सरकार से :-

|    |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क. | केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसे प्राधिकार के अधीन, चलाये जाने वाले आयोग ये सम्बन्धित कोई स्थापन    |
| क  | केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई नियंत्रित उद्योग                                          |
| ख  | कोई रेल,                                                                                         |
| ग  | छावनी बोर्ड,                                                                                     |
| घ  | महापत्तन,                                                                                        |
| ड. | खान,                                                                                             |
| च  | तेल क्षेत्र,                                                                                     |
| छ  | किसी बैंक कारी या बीमा कम्पनी को कोई स्थापन,                                                     |
| ज  | के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।                                                      |
| ख. | किसी अन्य स्थापन के सम्बन्ध में, जिस राज्य में स्थापन स्थित है, वहाँ की राज्य सरकार अभिप्रेत है। |

**II. स्थापन :-** सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी कोई कार्यालय या विमान या ऐसा कोई स्थान जहाँ उद्योग, व्यापार, कारोबार, विनिर्माण या उपजीविका चलाई जाती है।

**III. स्थापन :- प्रधान नियोजन ( क )** सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग या प्राधिकारी का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निति विनिर्दिष्ट करे। **(ख)** किसी कारखाने की दशा में, उस कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और कारखाना अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रबन्धक और किसी खान के मामले में खान का स्वामी या अधिकर्ता और खान का प्रबन्धक। **(ग)** किसी अन्य स्थापन के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

**IV. 'ठेकेदार'** से ऐसा व्यक्ति जो विनिर्मित माल या वस्तुओं के सिर्फ प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम संविदा श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिए प्राप्त कराने को वचनबद्ध है या जो उस स्थापन के किसी भी काम के लिये संविदा श्रमिकों को प्रदाय करता है। ठेकेदार के अन्तर्गत उप-ठेकेदार आता है।

**V. 'संविद श्रमिक'** कोई कर्मकार किसी स्थापन में 'संविद श्रमिक' के रूप में नियोजित समझा जाएगा ज बवह प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, किसी ठेकेदार के माध्यम से काम के लिये भाई में रखा जाता है।

**VI. 'कर्मकार' -** कोई व्यक्ति जो किसी स्थापन में भाड़े य इनाम के लिए कोई कुशल, अकुशल शारीरिक कार्य या पर्वेक्षणगीय तकनीक या लिपिक कार्य करने के लिए किसी स्थापन में नियोजित है, चाहे नियोजित के निबन्धन हो या विवक्षित।

कोई व्यक्ति जो मुख्यतः प्रबन्ध सम्बन्धी या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है या पर्यवेक्षण सम्बन्धी हैसियत में नियोजित है और 500 रु0 मासिक से अधिक मजदूरी पाता है जो मुख्यतः प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करता है और ब्राह्मा कार्मिक जो प्रधान नियोजक की ओर से ऐसे परिसर में कोई कर्य करता है जो प्रधान नियोजक के नियन्त्रक और प्रबन्ध के अधीन नहीं है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकार के रूप में नहीं माना जायेगा।

**IV. 'अधिनियम'** नियमों को केन्द्रीय क्षेत्र में लागू करने के लिये वंश

सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी के रूप में और सभी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं सभी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) और कनिष्ठ श्रम निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गए हैं।

### V. 'सलाहकार बोर्ड'

अधिनियम के प्रशासन सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिये समुचित सरकार सलाहकार बोर्डों को गठन करेगी।

### VI. 'रजिस्ट्रीकरण'

किसी स्थापन का हर प्रधान नियोजक अपने स्थापन के सम्बन्ध में, जिसे क्षेत्र में उसका स्थापन स्थित है, उसके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समुचित सरकार द्वारा विहित नियत

अवधि के भीतर, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फीस देकर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिसंहत किया जा सकेगा यदि यह पाया जाये कि प्रमाण पत्र दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्त्विक तथ्य को दबाकर प्राप्त किया गया या रजिस्ट्रीकरण बेकार या प्रभावहीन हो गया है।

### VII. 'अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव'

किसी स्थापन का कोई प्रधान नियोजक, यदि उसका स्थापन समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीक त नहीं हुआ है या उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसेहरण के पश्चात् संविद नियोजित नहीं कर सकता हैं

### VIII. 'संविद श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध'

समुचित सरकार यथास्थिति केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सलाहकार बोर्ड से सलाह करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थापना की किसी प्रकिया, किया या अन्य संकर्म में संविद श्रमिकों को नियोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले समुचित सरकार उस स्थापन में सेवि ए श्रमिकों के लिये व्यवस्थित कार्य की दशाओं और प्रसुविधाओं तथा अन्य संगत बातों का ध्यान रखेगी।

### IX. 'ठेकेदारों का अनुज्ञापन'

- समुचित सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित की गई तारीख से कोई ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोई भी काम नहीं लेगी या निष्पादित नहीं करेगा सिवाय अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निमित दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में।
- प्रत्येक ठेकेदार को,जिस पर अधिनियम लागू होता हो, उसे उसका स्थापन स्थित है उस क्षेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी से, समुचित सरकार द्वारा नियम अवधि के भीतर प्रति कर्मकार 30रु0 जमा करके और विहित फीस देकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। अनुज्ञप्ति के प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना होगी।
  - अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।
  - उस स्थापन में संवि ए श्रमिकों के रूप में अधिकतम कितने नियोजित किये जा सकते हैं के साथ अन्य विशिष्टियाँ जैसे कि संदेय मजदूरी की दर, कार्य के घंटे और कर्मचारी की सेवा की अन्य शर्तें।
  - ऐसे स्थापन में, जहां सामान्यतः 20 या अधिक कर्मकार संविद श्रमिक के रूप में नियोजित हो,ठेकेदार युक्तियुक्त आकार के दो कमरों की शिक्षक के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों के लिए खिलौने, खेलकूद, बिस्तरों और चारपाईयों की व्यवस्था करेगा।

अनुज्ञप्ति 12 मास के लिए विधिमन्य होगी और विहित फीस देने पर उसे नवीकृत किया जा सकेगा और किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये अवेदन उस जारी की गई अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। यदि अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन आदि द्वारा प्राप्त की गई हो या यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञपति की शर्त का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो उसे प्रतिसंहत किया जा सकेगा। व्यथित पक्षकार द्वारा ऐसे आदेश पर आदेश के 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकेगी।

### X. 'संविद श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य'

कैन्टीन, विश्रामकक्ष, पेय जल, शौचालय, मन्त्रालय, धुलाई सुविधाओं को निम्नलिखित मापमान पर , कल्याण, स्वास्थ्य प्रसुविधाओं में से प्रत्येक के सामने दी गई विहित समय सीमा के भीतर व्यवस्था करने का उत्तदायित्व ठेकेदार का है :-

| कल्याण प्रसुविधायें | स्वास्थ्य                                                                                                                                                                                   | शर्त ए मापमान | समय सीमा                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कैन्टीन             | जब संविद श्रमिको य नियोजन 6 महीने के लिये चलते रहने की संभावना हो और नियोजित संविद श्रमिको का संख्या 100 या अधिक हो, नियमों के यथाविनिर्ष्ट उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करनी और चलानी होगी। |               | विद्यमान स्थापनों की दिशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात 16.02.71 से 60 दिन के भीतर और नये स्थापनों के मामले में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 60 दिन के भीतर। |
| विश्राम कक्ष        | जहां कही भी संविद श्रमिकों का नियोजन 3 मास या अधिक के लिए चलते रहने की संभावना हो और संविद श्रमिकों से रात में रुकना, अपेक्षित हो, नियमों के अनुसार विश्रामकक्ष रखने होंगे।                 |               | विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात 10.02.71 से 15 दिन के भीतर और नये स्थापनों के मामले में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 15 दिन के भीतर।  |
| पेय-जल              | सुविधाजनक स्थलों पर स्वास्थ्यपद पेय जल की व्यवस्था होगी।                                                                                                                                    |               | विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात 10.02.71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों के मामले में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 7 दिन के भीतर।    |
| धुलाई सुविधायें     | जैसे नियमो में बताया गया है धुलाई सुधाओं के लिये उपयुक्त और समूचित सुविधायें दी जायेगी।                                                                                                     |               | विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात 10.02.71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों के मामले में संविद श्रमिकों के                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नियोजन के आरम्भ से 7 दिन के भीतर। |
| मूत्रालय, शौचालय         | <ol style="list-style-type: none"> <li>जहां महिलायें नियोजन हो वहां प्रत्येक 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय।</li> <li>जहां पुरुष नियोजित हों, वहां प्रत्येक 25 पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय जहां पुरुषों या अधिक हो तो प्रथम 100 तक यथास्थित प्रत्येक 25 पुरुषों या महिलाओं के लिये एक शौचालय और उसके पश्चात् 50 के लिए एक, र्थापित होगा।</li> </ol> | यथोक्त।                           |
| प्राथमिक उपचार सुविधायें | प्रत्येक 150 संविद श्रमिकों या उनके किसी भी भाग के लिए कम से कम एक बक्स की दर पर प्राथमिक उपचार बक्स रखा जाना चाहिये और पूरे कार्य के घण्टे के दौरान तुरन्त पहुँच में होना चाहिये।                                                                                                                                                                              | यथोक्त।                           |

यदि ठेकेदारों विहित समय सीमा के भीतर किसी प्रसुविधा की व्यवस्था करने में असफल रहे तो ऐसी प्रसुविधा प्रधान नियोजक द्वारा, कैंटीन के मामले में 60 दिन के भीतर, विश्रामकक्षा के मामले में 15 दिन में, पेय-जल के प्रदाय शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था, धुई और प्राथमिक उपचार सुविधायें की व्यवस्था करना अपेक्षित था, की जायेगी।

## XI. मजदूरी का संदाय

- ठेकेदार मजदूरी की वह अवधियां, एक माह से अधिक नियत करेगा जिनकी बाबत मजदूरी देय होगी।
- ऐसे स्थापन में जहां एक हजार से कम व्यक्ति नियोजित किये गये हों सम्बन्धित मजदूरी अवधि की अन्तिम दिन के पश्चात् 7 वां दिन समाप्त होने से पहले मजदूरी दी जायेगी और जहां एक हजार या अधिक व्यक्ति नियोजित हो वहां दसवां दिन समाप्त होने से पहले दी जायेगी।
- किसी कर्मकार के नियोजन की समाप्ति पर पेय मजदूरी उसके नियोजन की समाप्ति के दिन से दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पूर्व उसको देय मजदूरी दी जायेगी।
- सभी संदाय कर्मकार को सीधे या कर्मकार द्वारा प्रयोजन के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से किये जायेंगे, मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी या दानों में दी जायेगी और पहले से अधिसूचित तारीख को कार्य परिसर पर कार्य घण्टों के दौरान किसी कार्य दिवस का दी जायेगी।
- यदि काम मजदूरी की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा हो जाये तो अन्तिम संदाय कार्य-दिवस के 48 घण्टे के भीतर किया जायेगा।
- मजदूरी बिना किसी कटौती के, सिवाय मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन प्राधिकृत, कर्मकार को दी जायेगी।
- मदूरी का संदाय प्रधान कनयोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में और इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित स्थान और समय पर किया जायेगा।

## XII. रजिस्टर और अभिलेख

- प्रधान नियोजक संविदायों का रजिस्टर रखेगा।
- प्रत्येक ठेकेदार अपने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजक के तीन दिन के भीतर नियोजन पत्र भी जारी करेगा। नियोजन की समाप्ति पर ठेकेदार कर्मकार को सेवा प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।
- ठेकेदार अंग्रेजी और हिन्दी में निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा।
  - मस्टर रोल
  - मजदूरी का रजिस्टर,
  - कटौतियों का रजिस्टर,
  - अतिकालिक रजिस्टर,
  - जुर्माना का रजिस्टर,
  - अग्रिम रजिस्टर,
- प्रत्येक ठेकेदार अधिनियम और नियमों की संक्षिप्त अंग्रेजी और हिन्दी में और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा में रखेगा।
- सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की अंतिम प्रविष्टि की तारीख के तीन कलेंडर वर्षों की अवधि के लिए मूल रूप से परिरक्षित रखे जायेंगे। अधिनियम या नियमों के अधीन रखे गये रजिस्टर और अभिलेख, मांग

किये जाने पर नियक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष पेश किये जायेंगे।

## XIII. सूचनाएं

मजदूरी की दरें, कार्य घण्टे, मजदूरी की अवधियां, मजदूरी संदाय की तारीख में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों के नाम और पत्ते और असदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दर्शित करने वाली सूचनाएं, अंग्रेजी और हिन्दी में और कर्मकारों की बहु-संख्या द्वारा समझी जाने वाली अस्थानिय भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी।

## XIV. विवरणीयां

प्रत्येक ठेकेदार अर्द्ध-वार्षिक विवरणीय प्ररूप-24 में (दो प्रतियों में) अनुज्ञापन अधिकारी को भेजेगा और प्रत्येक प्रधान नियोजक वार्षिक विवरण प्ररूप-25 में (दो प्रतियों में) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेजेगा।

**टिप्पण :-** अर्द्ध-वार्षिक से प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी से प्रथम जुलाई तक की अवधि अभिप्रेत

अर्द्ध-वार्षिक विवरण अर्द्ध-वार्षिकी की समाप्ति के पश्चात् 30 दिन के पश्चात् और वार्षिक विवरण, जिसके सम्बन्ध में वे हो उसके अंत के पश्चात् आने वाली 15 फरवरी पहुंच जाये।

## XV. शक्तियां

बोर्ड, समिति, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी को किसी संविद श्रम के सम्बन्ध में किसी प्रधान नियोजक या ठेकेदार से लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय कोई सूचना या आंकड़े मांगने की शक्ति होगी।

## XVI. अपराध के लिए शास्तियां-

- जे कोई किसी निरीक्षक को उसके कर्तव्यों की निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, या अधिनियम के अधीन कोई निरीक्षक, का परीक्षा जांच या अन्वेषण करने में निरीक्षक को युक्तियुक्त सुविधा देने से इन्कार या उसकी जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। यही दण्ड ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो इस अधिनियम के अधीन रखे गये किसी रजिस्टर या अपेक्षिक दस्तावेज को निरीक्षक के सामने रखने से जानबूझकर इन्कार करेगा या उसके समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किये जाने से किसी व्यक्ति को निर्धारित करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण हो कि निवारण की संभावना है।
- जो कोई इस अधिनियम या नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जो संविद श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध, निर्वन्धित या विनियमित करता है या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की किसी शर्त पर उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसके अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे 1 हजार रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त तक का हो सकेगा, या दोनों दण्डनीय होगा जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोष-सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रतिदिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, होगा।
- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इस नियमों के किन्ही ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करेगा जिनके लिए अन्यत्र कोई अन्य शर्तित उपबन्धित नहीं की गई है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

## XVII. कम्पनियों द्वारा अपराध :-

यदि अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो वह कम्पनी और कम्पनी के संचालन के लिए उसका भारसाधक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हर एक व्यक्ति और नियमों के अधीन कार्यवाई किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

## XVIII. निरीक्षक के शक्तियां

### अधिनियम के अधीन निरीक्षक-

- ऐसे सहायकों के साथ जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख या किन्ही सूचनाओं की परीक्षा कने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त घन्टों में ऐसे किसी परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां संविद श्रमिक नियोजित है और निरीक्षण के लिए उसका पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा,
- ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिसे वह ऐसे किसी परिसर या स्थान में पायें और जिस में उसके पास वह विश्वास करने का युक्तियुक्त हो कि वह उसमें नियजित कोई कर्मकार है,
- काम बांटने वाले किसी व्यक्ति से और किसी कर्मकार से वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों के, जिन्हें या जिसके लिये वह काम बांटा जाता है या जिनसे काम प्राप्त होता है, नामों व पत्तों के संबंध में तथा काम के लिए किये जाने वाले संदायों के संबंध में ऐसी जानकारी दें जिसका देना उसकी शक्ति में हो।
- ऐसे अभिलेख या सूचनायें जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के संबंध में संगत समझे अभिग्रहीत कर सकेगा या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।
- ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी सरकार द्वारा विहित की जायें।